Date	Order with initials of Presiding Officer
8/5/26	

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/वादी ओमप्रकाश की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् तलब किये जाने दस्तावेज अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सीपीसी पेश किया जो निम्न प्रकार है – यह कि प्रकरण में विवादित प्रश्नों से संबंधित दस्तावेजात फर्म पोलीकेम इण्डस्ट्रीज ई–1 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट कोटा का प्रारम्भ से लेकर अन्त तक का बही–खाता, इनकम टेक्स, सेलटेक्स स्टेटमेंट तथा बैंक एकाउंट स्टेटमेंट प्रतिवादी सं0 1 के पावर एण्ड पजेशन में है। यह कि प्रकरण के समुचित न्याय निर्णयन के लिये प्रतिवादी सं0 1 से उपरोक्त दस्तावेजात सशपथ तलब किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रतिवादी सं0 1 से फर्म पोलीकेम इण्डस्ट्रीज ई–1 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट कोटा का प्रारम्भ से लेकर अन्त तक का बही–खाता, इनकम टेक्स, सेलटेक्स स्टेटमेंट तथा बैंक एकाउंट स्टेटमेंट सशपथ तलब किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जिसका अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम–1 रमेश चंद गुप्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो निम्न प्रकार है– यह कि प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में वर्णित दस्तावेजात अत्याधिक पुराने होने के कारण गुम हो चुके है व प्रतिवादी क्रम–1 के पास उपलब्ध नहीं है और उसके पॉवर व पजेशन में नहीं है। वेसे भी इस मद में वर्णित दस्तावेजात विभाजन के दावे के निर्णय हेतु आवश्यक नहीं है। वादी ने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजात क्यों आवश्यक है उन्हें मंगाने का कोई कारण नहीं लिखा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावे।

प्रकरण में प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता का कथन है कि यह प्रकरण विभाजन से संबंधित है तथा विभाजन का वाद है। विभाजन के वाद में सभी संपत्तियों का बंटवारा होना आवश्यक है। इस कारण से इनकम टेक्स, सेल टेक्स, बैंक अकाउंट का स्टेटमेण्ट तथा कंपनी से संबंधित सभी स्टेटमेंट व दस्तावेज पेश किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी/प्रतिवादी रमेशचंद का कथन है कि जो दस्तावेज प्रार्थी/वादी द्वारा मांगे गये है वह सभी दस्तावेज उससे गुम हो गए हैं।

बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह कि प्रकरण में वादपत्र की मद संख्या 5 का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है –

''5. यह कि वादी व प्रतिवादीगणवाली संयुक्त हिन्उदू अविभाजित परिवार की एक सम्पत्ति पूर्व में परिवार द्वारा रीको विभाग से पैमायशी 1000 वर्गमीटर का भूखण्ड संख्या–ई–1, इण्डसट्रीयल एस्टेट कोटा में पोलीकेम इण्डस्ट्रीज के नाम से निम्न सीमाओं का दिनांक 06.06.72 को क्रय किया गया, जिसकी लीज डीड दिनांक 30.12.72 को निष्पादित हुई, सीमाएं निम्न है –

पूरब– रेल्वे क्रोसिंग

पश्चिम– रोड व वेयर हाउस

उत्तर– कन्सुवा रोड़ व आई.टी.आई.

दक्षिण– शेड नम्बर 2, 3, 4 व 5''

यह कि प्रकरण में जो अनुतोष मांगा गया है वह वाद की मद संख्या 5 के संबंध में अनुतोष मांगा गया है, जिसमें पोलीकेम इण्डस्ट्रीज का विभाजन चाहा गया है। अतः उक्त विभाजन के लिए वादी द्वारा जो दस्तावेज तलब किए जाने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उक्त दस्तावेजों की आवश्यकता ~~है~~ नहीं है। उक्त पोलीकेम इण्डस्ट्रीज के विभाजन के लिए आवश्यक नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्तें साक्ष्य वादी में दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।

संशोधित 11/5/26

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
... (राज.)